F.No.21/02/2020-CS-I(Coord)
Ministry of Personnel, Public Grievances Pension
Department of Personnel & Training
(C.S.I Division)
****

2nd Floor, 'A' wing,
Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi
Dated 3rd March, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Engagement of 'Consultants' on contract basis in Farakka Barrage Project.

The undersigned is directed to circulate the Vacancy Circular No. A.28011/3/2018E-III. dated 21st February, 2020 (along with enclosures) received from Ministry of Jal Shakti who have invited applications from retired Government Servants for engagement of two (02) on contract basis.

2. In case of any further clarification, applicants are requested to contact the concerned Ministries/Departments.

S.K. Das Gupta

(Sanjay Kumar Das Gupta)
Under Secretary to the Government of India
Tele:- 24629412

To,

All Ministries/Departments (through DOPT's website)

270

No. A.28011/3/2018-E-III
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Water Resources, RD & GR
***

Dated, New Delhi, the 5th February 2020 21st

CIRCULAR

Subject: Engagement of 'Consultants' on contract basis in Farakka Barrage Project.

Applications are invited from retired Government Servants for engagement of two (02) Consultants on contract basis. Detailed terms and conditions of engagement of these Consultants, eligibility criteria and other details are given below:

1	Number of Consultants to be engaged on contract basis	02 (Two)
2.	Age limit	Maximum age 65 years as the date of application
3.	Place of assignment	1. Consultant(Admn): Farakka, District: Murshidabad, West Bengal 2. Consultant(Purchase & Liaison): Kolkata, West Bengal
4.	Eligibility	As given in Annexure-I
5.	Tenure of contract	
6.	Assignment	
7.	Other Terms & Conditions	As given in Annexure-II

2. Interested persons, who are in a position to join immediately, may submit their application, in plain paper, in the enclosed proforma, along with a copy of PPO to Under Secretary(E-III), Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India, Room No. 625, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001, within two weeks from the date of issue of Circular.

Encl.: Annexure-I,II & III

(S.B. Pandey)
Under Secretary to the Government of India
Tele:23714350

Copy to:-

1. **General Manager, Farakka Barrage Project, P.O. Farakka, District: Murshidabad, West Bengal-742212, with the request to upload this Circular along with Annexure on the website of Farakka Barrage Project**
2. **Department of Personnel & Training(Shri S.K. Dasgupta, Under Secretary), Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003, with the request to publish this Circular in the website of the DoPT**
3. **Technical Director, NIC-MoWR with the request to publish the Circular in the website of this Department.**

SO(C)/[illegible]
28/2/2020
US(C)

ANNEXURE-I

1. **CONSULTANT(Admn)**

(i) retired as a Deputy Secretary from the Central Government; or
(ii) retired as a Under Secretary from the Central Government with minimum of five years of service as Under Secretary

Possessing five years' of experience in handling administration or establishment and/or accounts matter

2. **CONSULTANT(Purchase & Liaison)**

(i) retired as an Executive Engineer(Civil) from the Central Government;
(ii) retired as a Under Secretary from the Central Government with minimum of three years of service as Under Secretary

Possessing experience of (i) procurement of civil works; (ii) liaison works with various Government Departments; (iii) assist VIP/higher Official movement; and (ii) Liaison with Government Advocates in the matter of Court/CAT cases

Duties and responsibilities:

1. Consultant (Admn.) - Will perform the duties and responsibilities, which are required to be performed by the Senior Administrative Officer of Farakka Barrage Project (FBP) and will be designated as Consultant (Administration). He may be given additional responsibilities, besides duties of the Senior Administrative Officer, by the General Manager, FBP, who is the Head of Department of FBP. The General Manager, FBP will be his Reporting/Controlling Officer during the above engagement. The Consultant (Administration) will be authorized to issue communications to other organisations, for and on behalf of the FBP, as the Senior Administrative Officer would have required to do.

2. Consultant (Purchase & Liaison) : - Will execute procurement of goods required for the Farakka Barrage Project(FBP) for various Civil Works. He will also perform Liaison works with various Government Departments and take required action in the matter of Court/CAT cases of FBP and Union of India at Kolkata and West Bengal. He will perform the duties of Protocol Officer for VIP/higher Official movements at Kolkata and assist in the functions of FBP Guest House at Kolkata, including any other works assigned by the General Manager, FBP. The General Manager, FBP will be the Controlling Officer for this Consultant. The Consultant (Purchase & Liaison) will be authorized to issue communications to other organisations, for and on behalf of the FBP, from the Kolkata Office.

Place of Posting:

1. **Consultant (Admn.)** - Farakka Barrage Project, P.O. Farakka Barrage, Distt. Murshidabad, West Bengal - 742212.

2. **Consultant (Purchase & Liaison)**: Purchase & Liaison Office, Farakka Barrage Project, GE-2, Sector-III, Salt Lake, Kolkata, PIN 700106

Emoluments :
50% of last basic pay drawn (pension + the remuneration of the advertised consultancy in any case shall not be more than last basic pay drawn).

ANNEXURE-II

. Other terms & conditions for the aforesaid engagement as Consultant will be as under:-

a. Initial period of consultancy will be for 12 months, from the date of joining as consultant, which may be extended from time to time, for three years or till the Consultant attains 65 year of age, whichever is earlier.
b. engagement of these Consultant(s) in FBP shall not be considered as a case of re-employment, rather it shall be treated as purely on contract basis and it is neither a job nor an assurance for a job at FBP.
c. This engagement as Consultant will not confer any right for regular appointment to the post and will not confer any right for staking any claim for regular appointment to any post.
d. These Consultant(s) shall be on the whole time engagement with the FBP and shall not accept any other appointment, paid or otherwise and shall not engage himself with other private organization of any kind during the period of contract.
e. These Consultant(s) will receive fixed consolidated remuneration, subject to the conditions prescribed in the GFR, 2017 and other extant instructions issued from time to time for the entire period of contract and no other allowance (DA, HRA, Conveyance or any other allowance/relief etc.) shall be paid to them. These Consultant(s) shall not be entitled for any other facilities.
f. These Consultant(s) will abide by the rules and regulations of the Central Government applicable to an ordinary Government Servant, while on service.
g. These Consultant(s) will be allowed TA/DA for official journeys as per their entitlements on the date of retirement.
h. These Consultant(s) will be eligible for 08 (eight) days leave in a calendar year and no remuneration will be paid in case their absence exceeds eight days but leave not availed during a calendar year will not be carried forward to the next calendar year.
i. the working hours shall be the official working hours of FBP but these Consultant(s) may be required to sit late beyond normal hours and may be called on Saturdays/Sundays/Gazetted holidays, if situation requires, on orders of GM, FBP.
j. the Intellectual Property Rights (IPR) of the data collected as well as the deliverables produced for the FBP as a whole shall not be utilized or published or disclosed or part with, to a third party and any part of the data or statistics or proceedings or information collected for the purpose of this contract, or during the course of the contract shall be disclosed, without the express written consent of the GM, FBP.
k. the Income Tax or any other tax liable to be deducted, as per the prevailing rules will be deducted at source before effecting the payment, for which FBP will issue TDS Certificate.
l. on termination/closure of contract period, these Consultant(s) will be bound to hand-over the entire set of records of assignment to the FBP, before the expiry of the contract, and before the final payment is released by the FBP.
m. These Consultant(s) will in no case represent or give opinion or advice to any person, in any matter which is adverse to the interest of the FBP in, particular and the Central Government in general.
n. the place for settlement for all disputes through negotiation, mediation and also through legal media will be Kolkata/Farakka and decision of Central Government shall be binding on these Consultant(s).
o. the GM, FBP may terminate the contract by serving a notice of one month, if:
    i. the Consultant is unable to address the assigned works,
    x. i the quality of the assigned works is not to the satisfaction of the GM, FBP,
    xi. ii these Consultant(s) fail in timely achievement of the milestones as finally decided by the GM, FBP
    xii. v these Consultant(s) are found lacking in honesty and integrity;
p. the GM, FBP reserves the right to terminate the contract, by giving one month's notice to the

Consultant and the termination shall be effected by written notice served on the Consultant and shall take effect in 30 days of delivery of such notice.

q. In case any permission is required to be taken by the applicants from the offices where they retired from, obtaining the same shall be the responsibility of the applicants.

******

ANNEXURE-III

Application for engagement as Consultant on contract basis in Farakka Barrage Project

Recent Passport size photograph

1.	Full Name (in Block Letters)				
2.	Date of Birth				
3.	Email ID				
4.	Mobile Number				
5.	Residential Address				
6.	Educational Qualification				
7.	Date of superannuation/retirement				
8.	PPO Number (enclose a copy)				
9.	Post held at the time of retirement				
10.	Organization currently working, if any				
11.	Organization superannuated from				
12.	Brief particulars of experience of last five years (a separate sheet may be annexed)	Post Held	From	To	Experience / Nature of work
14.	The Consultancy applied for / preference	1. For Consultant (Admn.) only 2. Consultant (Legal & Liaison) only 3. Both 1 & 2 4. Both 2 & 1			

Undertaking

1. I hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I further declare that I was clear from vigilance angle at the time of my retirement. I have read this circular and accept all the terms and conditions for engagement of consultants.

2. I have already taken permission (if required) to be taken by the applicants from the offices where they retired and shall provide the same in case of my selection/No permission is required to be taken from the office where I retired. **(strike out whichever is not applicable)**.

Place :

Date :

(Signature of the applicant)

275

सं.ए. 28011/3/2018-स्था.-III
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल. संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

दिनांक, नई दिल्ली, ~~05~~ 21 फरवरी, 2020

परिपत्र

विषय: फरक्का बैराज परियोजना में संविदा आधार पर 'सलाहकार' की नियुक्ति।

संविदा आधार पर दो सलाहकारों की नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित हैं। इन सलाहकारों की नियुक्ति के लिए विस्तृत निबंधन व शर्तें, योग्यता मानदंड और अन्य विवरण नीचे दिए गए है:

1	संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले सलाहकारों की संख्या	02 (दो)
2	आयु सीमा	आवेदन की तिथि तक, अधिकतम आयु 65 वर्ष
3	नियुक्ति का स्थान	1. सलाहकार (प्रशा.): फरक्का, जिला: मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल 2. सलाहकार (खरीद एवं संपर्क) कोलकाता, पश्चिम बंगाल
4	पात्रता	अनुलग्नक-I में दिया गया है।
5	संविदा की अवधि	
6	कार्यभार	
7	अन्य निबंधन व शर्तें	अनुलग्नक-II में दिया गया है।

2. इच्छुक व्यक्ति, जो तत्काल कार्य भार ग्रहण करने की स्थिति में है, अपना आवेदन सामान्य कागज में, संलग्न प्रोफार्मा में, पीपीओ की प्रति सहित, अवर सचिव (ई-III), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार, कमरा सं. 625, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 में परिपत्र जारी होने की तिथि के दो हफ्तों के अंदर जमा कर सकते हैं।

अनुलग्नक: अनुलग्नक-I, II और III

(एस.बी.पांडेय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23714350

प्रतिलिपि:

1. महा प्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना, पी.ओ. फरक्का, जिला: मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल-742212, को इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि वे इस परिपत्र को अनुलग्नक के साथ फरक्का बैराज परियोजना की वेबसाइट पर अपलोड करें।
2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (श्री एस.के. दास गुप्ता, अपर सचिव), लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003, को इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि वह इस परिपत्र को डीओपीटी की वेबसाइट पर प्रकाशित करें।

अनु अधिकारी (समन्वय)
24/2/2020
अ.अ.(समन्वय)

3. तकनीकी निदेशक, एनआईसी-एमओडब्ल्यूआर को इस अनुरोध के साथ भेजा जा रहा है कि वे इस परिपत्र को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करें।

अनुलग्नक-I

1. **सलाहकार (प्रशा.)**

(i) केन्द्र सरकार से उपसचिव के पद से सेवानिवृत्त हो; या

(ii) उपसचिव के पद पर पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा के साथ केन्द्र सरकार के उपसचिव के पद से सेवानिवृत्त हो।

2. **सलाहकार (खरीद और संपर्क)**

(i) केन्द्र सरकार से कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद से सेवानिवृत्त हो।

(ii) अवर सचिव के पद पर तीन वर्ष की न्यूनतम सेवा के साथ केन्द्र सरकार के अवर सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो।

इन कार्यों का अनुभव हो, (i) सिविल कार्यों की अधिप्राप्ति (ii) विभिन्न सरकारी विभागों के साथ संपर्क कार्य किया हो (iii) वीआईपी/उच्चतर सरकारी कर्मचारियों की गतिविधियों के सहायक रहे हों ; और (iv) न यायालय/सीएटी मामलों में सरकारी वकीलों के साथ संपर्क रहा हो।

कर्त्तव्य और दायित्व

1. परामर्शदाता (प्रशा.) - वह फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले कर्त्तव्यों और दायित्वों को पूरा करेगा और उसे सलाहकार (प्रशासन) का पद दिया जाएगा। उसे वरिष ठ प्रशासनिक अधिकारी के कर्त्तव्यों के साथ-साथ महा प्रबंधक, एफबीपी, जो एफबीपी विभाग के प्रमुख हैं, के द्वारा अतिरिक्त दायित्वों का भार दिया जा सकता है। उपर्युक्त नियुक्ति के दौरान, महा प्रबंधक एफबीपी उनके रिपोर्टिंग/नियंत्रक अधिकारी होंगे। जैसाकि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को करने की आवश्यकता होगी सलाहकार (प्रशासन) को अन्य संगठनों को एफबीपी के लिए और उनकी ओर से पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

2. सलाहकार (खरीद और संपर्क): फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) के विभिन्न सिविल कार्यों के लिए आवश यक वस्तुओं की खरीद का कार्य करेंगे। विभिन्न सरकारी विभागों के साथ वे संपर्क कार्यों को पूरा करेंगे और एफबीपी और कोलकाता और पश्चिम बंगाल की यूनियन ऑफ इंडिया के न्यायालय/सीएटी के मामलों में आवश यक कार्रवाई करेंगे। वे कोलकाता में वीआईपी/उच्च अधिकारी कार्यकलापों के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी के दायित वों का पालन करेंगे और कोलकाता में एफबीपी गेस्ट हाऊस के कार्यकरण में महाप्रबंधक, एफबीपी द्वारा दिए गए किन्हीं अन्य कार्यों को पूरा करने में सहायता करेंगे। इस सलाहकार के लिए महाप्रबंधक एफबीपी नियंत्रण अधिकारी होंगे। सलाहकार (खरीद और संपर्क), कोलकाता कार्यालय से एफबीपी के लिए और उनकी ओर से अन्य संगठनों को पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

नियुक्ति का स्थान:

1. सलाहकार (प्रशा.)- फरक्का बैराज परियोजना, पी.ओ. फरक्का बैराज, से मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल-742212.

2. सलाहकार (खरीद और संपर्क): खरीद और संपर्क कार्यालय, फरक्का बैराज परियोजना, जीई-2, सेक्टर-III सालट लेक, कोलकाता, पिन 700106.

परिलब्धियां:

आहरित अंतिम वेतन का 50% (पेंशन+किसी भी मामले में बिज्ञापित कंसल्टैंसी का पारिश्रमिक लिए गए आखिरी मूल वेतन से अधिक नहीं होगा)

अनुलग्नक-II

सलाहकार की उपर्युक्त नियुक्ति के लिए अन्य निबंधन व शर्तें नीचे दिए अनुसार होंगे-

7. सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से परामर्श की आरंभिक अवधि 12 माह की होगी, जिसे तीन वर्षों तक या परामर्शदाता की आयु 65 वर्ष की होने तक, जो भी पहले हो, समय-समय पर बढाया जा सकता है।
8. एफबीपी में इन सलाहकारों की नियुक्ति को पुन: रोजगार का मामला नहीं माना जाएगा, जबकि इसे पूर्णत: संविदा आधार पर समझा जाएगा और यह एफबीपी में न तो एक नौकरी है और न ही नौकरी का कोई वादा है।
9. सलाहकार के रूप में इस नियुक्ति से इस पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा और किसी पद पर नियमित नियुक्ति के लिए किसी दावे को करने का अधिकार नहीं मिलेगा।
10. इन सलाहकार/सलाहकारों को एफबीपी के साथ पूर्णकालिक अवधि के लिए रखा जाएगा और (संविदा की अवधि के दौरान) वे कोई अन्य पद, वेतन, या अन्य प्रकार से किसी अन्य निजी संगठन के साथ संलग्न नहीं होगे।
11. ये सलाहकार जीएफआर, 2017 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे और संविदा की पूर्ण अवधि के लिए समय-समय पर अन्य दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे तथा कोई अन्य भत्ता (डीए, एचआरए, किराया या कोई अन्य भत्ता/सहायता आदि) नहीं दी जाएगी। ये सलाहकार किसी अन्य सुविधा के हकदार नहीं होंगे।
12. सेवा के दौरान, ये सलाहकार केन्द्र सरकार के उन सभी नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगे, जो सामान्य सरकारी कर्मचारी पर लागू होते हैं।
13. इन सलाहकारों को सेवानिवृत्ति की तिथि पर उनकी पात्रता के अनुसार सरकारी यात्राओं के लिए टीए/डीए दिया जाएगा।
14. ये सलाहकार, एक कैलेंडर वर्ष में आठ (08) दिन की छुट्टियों के हकदार होंगे और यदि उनकी अनुपस्थिति आठ दिनों से अधिक होगी तो उसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक कैलेंडर वर्ष में न ली गई छुट्टी को अगले कैलेण्डर वर्ष तक नहीं बढाया जाएगा।
15. काम के घंटे, एफबीपी के सरकारी काम के घंटे होंगे परन्तु महा प्रबंधक, एफबीपी के आदेशानुसार, यदि पारिस्थितिगत आवश्यकता होगी, तो इन सलाहकार/सलाहकारों को सामान्य काम के घंटों से अधिक बैठने की आवश्यकता हो सकती है और शनिवार/रविवार/राजपत्रित छुट्टियों को भी बुलाया जा सकता है।
16. महा प्रबंधक, एफबीपी की लिखित मंजूरी के बिना इस संविदा के उद्देश्य से और संविदा की अवधि के दौरान समग्र रूप से एकत्र किए गए डाटा के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के साथ-साथ एफबीपी के लिए निर्मित सुपुर्दगियों (डेलीवरेबुल्स) का प्रयोग या प्रकाशन या खुलासा समग्र के रूप में किसी पार्टी को या डाटा के किसी भाग या आंकडों या कार्यवाहियों या प्राप्त की गई जानकारी का खुलासा नहीं किया जाएगा।
17. भुगतान को जारी करने से पहले वर्तमान नियमों के अनुसार आयकर या कोई अन्य कर काट लिया जाएगा, जिसके लिए एफबीपी टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करेगा।
18. एफबीपी द्वारा संविदा की समाप्ति से पहले और अंतिम भुगतान जारी किए जाने से पहले संविदा अवधि की समाप्ति/समापन पर ये सलाहकार असाइनमेंट के सभी रिकोर्डों को एफबीपी को दिए जाने के लिए बाध्य होंगे।,
19. ये सलाहकार, किसी भी ऐसे मामले में प्रतिनिधित्व करेंगे अथवा किसी व्यक्ति को अपने विचार अथवा सलाह नहीं देंगे जो एफबीपी के विशेष रूप से और सामान्य रूप से केन्द्र सरकार के हित के विपरीत हैं।
20. बातचीत, मध्यस्थता और कानूनी माध्यम के द्वारा भी सभी विवादों के समझौते का स्थान कोलकाता/फरक्का होगा और इन सलाहकारों के लिए केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

21.एक माह का नोटिस देकर महाप्रबंधक, एफबीपी संविदा को समाप्त कर सकते हैं, यदि:

i. सलाहकार दिए गए कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो,

ii. दिए गए कार्य की गुणवत्ता महाप्रबंधक, एफबीपी के लिए संतोषजनक नहीं हो।

iii. ये सलाहकार महाप्रबंधक, एफबीपी द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा पर काम को पूरा करने में असमर्थ हों।

iv. इन सलाहकार/सलाहकारों में सच्चाई और निष्ठा का अभाव हो;

7. महाप्रबंधक, एफबीपी के पास, सलाहकार को एक माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और सलाहकार को दिए गए लिखित नोटिस के द्वारा यह समापन किया जाएगा और इस प्रकार का नोटिस 30 दिनों में प्रभावी होगा।

8. जिस कार्यालय से आवेदक सेवानिवृत्त हुआ है, वहां से यदि कोई अनुमति लेने की आवश्यकता है तो उसे लेना आवेदक का दायित्व होगा।

अनुलग्नक-III

फरक्का बैराज परियोजना में संविदा आधार पर सलाहकार की नियुक्ति करने हेतु आवेदन

पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो

1	पूरा नाम (साफ अक्षरों में)				
2	जन्म तिथि				
3	ई-मेल आईडी				
4	मोबाइल नम्बर				
5	आवास का पता				
6	शैक्षिक अर्हता				
7	अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति की तिथि				
8	पीपीओ नम्बर (प्रति संलग्न करें)				
9	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद				
10	संगठन का नाम, जहां वर्तमान में कार्य कर रहे हैं (यदि कोई हो तो)				
11	संगठन, जहां से अधिवर्षिता प्राप्त की है।				
12	विगत 5 वर्षों के अनुभव का संक्षिप्त ब्यौरा (एक अलग शीट संलग्न करें)	धारित पद	से	तक	कार्य का अनुभव/प्रकृति

13	आवेदन की गई सलाहकार सेवा/ (प्राथमिकता)				I.सलाहकार (प्रशासन) केवल 2.सलाकार (विधि और संपर्क) केवल 3.दोनों 1 और 2 4.दोनों 2 और 1

संकल्प

1. मैं, एतद द्वारा सूचित करता हूं कि उपर्युक्त सभी ब्यौरे मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं यह भी घोषित करता हूं कि सेवानिवृत्ति के समय में सतर्कता की दृष्टि से बेबाक था। मैंने यह परिपत्र पढ़ लिया है और सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए सभी निबंधन और शर्तों को स्वीकार करता हूं।
2. मैंने आवेदन करने से पहले सेवानिवृत्ति वाले कार्यालय से अनुमति (यदि आवश्यक है) पहले ही ले ली है और चयन हो जाने पर इसे दे दूंगा / जिस कार्यालय से मैं सेवा निवृत्त हुआ हूं, वहां से कोई भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है **(जो लागू नहीं होता, उसे काट दें)**।

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख: